सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट दिनांक 21.10.2024

पी.एफ.एम.एस (पब्लिक फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट सिस्टम) पर एडमिन आईडी का दुरूपयोग करते हुये फर्जी फर्म बनाकर मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी का परिवर्तन कर धोखाधड़ी से आम जनमानस के रूपयों को अपने एकाउन्ट में ट्रान्सफर करने वाले 04 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अभयनाथ त्रिपाठी के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 12.04.2024 जिला पंचायत राज अधिकारी बनवारी सिंह पुत्र करन सिंह तैनाती विकास भवन इटावा द्वारा थाना सिविल लाइन पर लिखित तहरीरी सूचना दी गयी कि **पी.एफ.एम.एस** पोर्टल पर **Mr. Anjish Kumar खाता संख्या-5515891905** नाम की अराजक फर्म द्वारा **ADMIN ID का दुरूपयोग करते हुये** विकास खण्ड भरथना में यह फर्म फीड कर दी गयी एवं ग्राम प्रधान का नाम हटाकर अपना मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी फीड की गयी। अराजक फर्म द्वारा ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान के मोबाइल एवं ई-मेल आईडी इसलिये बदले गये जिससे उनके मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी पर ओ.टी.पी न पहुँचे और स्वयं के मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी पर ओ.टी.पी प्राप्त कर फर्म के द्वारा **अनाधिकृत रूप से पी.एफ.एम.एस की धनराशि को प्राप्त करने के कई प्रयास किये गये।**

सूचना पर थाना सिविल लाइन पर **मु0अ0सं0 82/2024 धारा 419/420/467/468/471भादवि व 66C/66D आईटी एक्ट** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 21.10.2024 को थाना सिविल लाइन पुलिस मु0अ0सं0 82/2024 में प्रकाश मे आये अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद इटावा से रवाना होकर जनपद सहारनपुर पहुंची जहां थाना देवबन्द क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त विपिन कुमार को ग्राम दुगचाड़ा से, अभियुक्त विकुल चौधरी को थाना देवबन्द क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गंगदासपुर एवं अभियुक्त रजनेश को **जनपद सहारनपुर के थाना देवबन्द क्षेत्रान्तर्गत ग्राम दुगचाड़ा से समय 16.45 बजे गिरफ्तार किया गया**, तथा जनपद इटावा के डी0पी0एम0 पद पर तैनात **दीपक कुमार को समय करीब रात्रि 01.50 बजे** गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछः-

पुलिस टीम द्वारा पकड़े गये अभियुक्त रजनेश से पूछताछ करने पर उसने बताया गया कि वह डी0पी0ओ0 कार्यालय सहारनपुर में सफाई कर्मी के पद पर तैनात है एवं कम्प्यूटर का कार्य भी देखता है। उसने विकुल चौधरी से दूसरे की आईडी से सिम मंगायी थी तथा विकुल चौधरी ने उसी के गांव के पास रहने वाले विपिन से सिम लाकर दी थी एवं जनपद इटावा के डी0पी0एम0 दीपक ने दोनों ग्राम पंचायतो के पी0एफ0एम0एस0 की जनपद इटावा के **ADMIN ID व पासवर्ड** भेजे थे। जिससे मैनें **SNA (सिंगल नोडल अकाउण्ट)** पर जनपद इटावा की सभी ग्राम पंचायतो पर धनराशि का आवंटन देखा। जिससे मेरे मन में लालच आ गया और मैंने आईडी पासवर्ड बदल दिये और फर्जी अकाउण्ट लेकर पी0एफ0एम0एस के बिल बाउचर ऑनलाइन बनाकर भुगतान का प्रयास किया, परन्तु **डिजिटल सिग्नेचर(DSC)** उपलब्ध ना होने के कारण भुगतान नही हो पाया।

उसके अगले दिन मेरे पास जनपद सहारनपुर के डी0पी0आर0ओ0 आलोक शर्मा का फोन आया और इटावा की ग्राम पंचायतो का फीड होने की जानकारी की गयी जिससे मुझे लगा कि उन्हे शक हो गया है। इसी कारण मैनें कम्प्यूटर इत्यादि सभी उपकरणों को जला दिया।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. विपिन कुमार पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम दुगचाड़ा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर **उम्र 19 वर्ष**।
2. विकुल चौधरी पुत्र अनिल कुमार निवासी ग्राम गंगदासपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर **उम्र 24 वर्ष**।
3. रजनेश पुत्र कृष्णपाल गुर्जर निवासी ग्राम दुगचाड़ा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर **उम्र 34 वर्ष**।
4. डी0पी0एम0 दीपक कुमार वर्मा पुत्र नाथूराम निवासी कछांव थाना कोंच जनपद जालौन हाल पता मनोहर कालोनी थाना सिविल लाइन जनपद इटावा **उम्र 36 वर्ष**।

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 82/2024 धारा 419/420/467/468/471 भादवि व 66C/66D आईटी एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।

पुलिस टीमः- निरी0 श्री यशवंत सिंह प्रभारी थाना सिविल लाइन, निरी0 श्री राजा दुबे, हे0का0 कुलदीप यादव, का0 रामनरेश, का0 अमित खोखर।